भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 234
उत्तर देने की तारीख 05.02.2024

मेरा गांव मेरी धरोहर

234. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्रीमती रंजीता कोली :
डॉ. मनोज राजोरिया :
श्री संजय भाटिया :
श्री सुमेधानन्द सरस्वती :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
श्री तापिर गाव :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत 'मेरा गांव मेरी धरोहर' (एमजीएमडी) परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजनाओं के लिए आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान, जलियांवाला बाग नवीकरण, नेताजी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गांधी जयंती समारोह और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान इत्यादि कार्यों के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने मेरा गांव, मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम के तहत सभी गांवों का मानचित्रण और प्रलेखन करने का निर्णय लिया है। एमजीएमडी के संबंध में 27.07.2023 को एक वेब पोर्टल की भी शुरूआत की गई थी। एमजीएमडी का उद्देश्य भारत के गांवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार (प्रकृति) के संबंध में समग्र सूचना संकलित करना और वर्चुअल एवं वास्तविक आगंतुकों को इसे उपलब्ध कराना है। एमजीएमडी के तहत सात व्यापक श्रेणियों के तहत सूचना एकत्रित की जाती है जो निम्नानुसार है:

- कला और शिल्प ग्राम
- पारिस्थितिकी उन्मुख ग्राम
- भारत की पाठ्य और शास्त्रानुकूल परंपराओं से जुड़ा शैक्षिक ग्राम
- रामायण, महाभारत और/अथवा पौराणिक कथाओं और मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा पौराणिक ग्राम
- स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक ग्राम
- वास्तुशिल्पीय विरासत ग्राम
- अन्य कोई विशेषता जिसे विशेष रूप से दर्शाए जाने की आवश्यकता है जैसे कि मछली पकड़ने वाला गांव, बागवानी ग्राम, गडरिया ग्राम आदि।

(ग) : संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' संचालित की जा रही है जिसमें 08 स्कीम घटक शामिल हैं जिनके माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम', के अंतर्गत जिन स्कीमों के माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनका विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(घ): पांच वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात 2021-2022 से 2025-2026 तक 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' जिसके 08 घटक हैं, के अंतर्गत 353.46 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया।

(ङ): भारत सरकार ने 15 अगस्त, 2022 से 15 अगस्त, 2023 के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' को यथोचित रूप से मनाने का निर्णय लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव की औपचारिक रूप से शुरुआत 12 मार्च, 2021 अर्थात 15 अगस्त, 2022 से 75 सप्ताह पूर्व की गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत, भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया जिसके माध्यम से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मरणोत्सव आयोजित किए गए।

'किला और कहानियां' तथा 'अद्भुत गुफाएं' जैसे अभियानों के माध्यम से, स्वतंत्रता संग्राम में भारत के किलों और गुफाओं के योगदान पर प्रकाश डाला गया। जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में स्मरणोत्सव आयोजित किए गए।

जलियांवाला बाग नरसंहार के शताब्दी स्मरणोत्सव का दिनांक 13.4.2019 से 13.04.2020 तक आयोजन किया गया। माननीय राष्ट्रपति की अगुवाई में स्मारक स्थल पर 13.04.2019 को श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया जिसमें स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए। स्मारक को नवीकृत किया गया है। एक संग्रहालय स्थापित किया गया है और लाइट एंड साउंड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नवीकृत जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक, अमृतसर के 28.08.2021 को आयोजित उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित थे।

भारत सरकार ने 23 जनवरी, 2021 से 23 जनवरी, 2023 तक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयंती का स्मरणोत्सव मनाया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर, 8 सितम्बर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट के निकट काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई।

एकता की प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रसिद्ध लैंडमार्क प्रतिमा है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और तत्पश्चात भारत के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, भारत के लौह पुरुष के रूप में विख्यात, दूरदृष्टा नेता और नीतिज्ञ सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित है। इस परियोजना को सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल), जो पूर्ण रूप से गुजरात सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा कार्यान्वित किया गया। अब तक भारत सरकार ने एकता की प्रतिमा का निर्माण करने हेतु अपनी पहल के तहत गुजरात सरकार की सहायता के लिए अब तक 300.00 करोड़ रुपये की राशि, वित्तीय सहायता के रूप में जारी की है।

भारत सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई। दिनांक 02.10.2018 से शुरुआत करते हुए, पूरे विश्व में 2 वर्ष की अवधि के लिए समारोह आयोजित किए गए। भारत सरकार ने 02.10.2019 को 150 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने 02.10.2018 और 02.10.2019 को क्रमश: 7 गोलाकार स्मारक डाक टिकटों और 6 अष्टभुजाकार डाक टिकटों के सेट जारी किए। इस स्मरणोत्सव के अंतर्गत किए गए कुछ मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं: (i) माननीय प्रधानमंत्री ने 30.01.2019 को दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया, (ii) गणतंत्र दिवस परेड 2019 की सभी झांकियां गांधी विषय पर आधारित थी, (iii) 3 मुख्य गांधीवादी स्थलों नामत:, बांग्लादेश में नोआखली, हिंदी प्रचार सभा, चेन्नई और गांधी स्मारक संग्रहालय, बैरकपुर का नवीकरण किया गया, (iv) गांधीजी के आदर्श वाक्य 12,87,64,115 उपयोगकर्ताओं को परिचालित किए गए।

कर्पूरी ठाकुर: संस्कृति मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2024 को कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और बलिदानों का कीर्तिगान किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और राजनेता के रूप में उनके ईमानदारी से युक्त जीवन को एक प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया और स्मारक डाक टिकट तथा सिक्का जारी किया गया। उनकी जन्मशती की पूर्व संध्या पर, भारत सरकार ने श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया।

****

अनुलग्नक-I

'मेरा गांव मेरी धरोहर' के संबंध में दिनांक 05 फरवरी, 2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीमः इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं :

(i) राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य देश में कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करते हुए कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार पर ध्यान केन्द्रित करने वाले राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों ('गैर-लाभ-अर्जक' संगठन, एनजीओ, सोसाइटियों, न्यास, विश्वविद्यालयों आदि) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है।

(ii) सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियों, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाओं, महोत्सव, प्रदर्शनियों, विचार-गोष्ठियों, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वितीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(iv) बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(v) स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

(vi) संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम उप-घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक/आगंतुक नियमित रूप से आते हैं और प्रमुख आयोजनों/महोत्सवों के दौरान आगंतुकों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, वहां नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

(vii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संरक्षा हेतु स्कीम :

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुन: सक्रिय करने और पुन: जीवन्त बनाने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

ख. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

*****